उत्तर प्रदेश शासन,

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-2

संख्या-104/2024/।/806837/2024/71-2099-263-2021-4

लखनऊः दिनांक-27-11-2024

<u>शुद्धि पत्र</u>

वित्तीय वर्ष 2024-25 में राजस्व पक्ष में मानक मद-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) मद में असाध्य रोगों से ग्रसित रोगियों को नि:शुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराए जाने हेतु शासनादेश संख्या-101/2024/।/804889/2024/001-71-2099-263-2021-4, दिनांक 26.11.2024 के प्रस्तर-3 में टंकण त्रुटिवश धनराशि रू0 1265.00 लाख अंकित हो गई है, जिसे धनराशि रू0 720.00 लाख (रूपये सात करोड़ बीस लाख मात्र) पढ़ा जाए।

2- उक्त शासनादेश दिनांक 26.11.2024 को इस सीमा तक संशोधित समझा जाए। शासनादेश की शेष शर्ते एवं प्रतिबन्ध यथावत रहेंगे।

(ज्ञानेन्द्र कुमार शुक्ल)
अनु सचिव।

<u>संख्या-104/2024/।/806837/2024/71-2099-263-2021-4, तद् दिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3. नोडल अधिकारी, बजट आवंटन, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
4. निदेशक, डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ।
5. निदेशक, एस0जी0पी0जी0आई0, लखनऊ।
6. निदेशक, बाल चिकित्सा एवं स्नातकोत्तर शैक्षणिक संस्थान, नोएडा।
7. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज।
8. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
9. मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी/कलेक्ट्रेट लखनऊ/जवाहर भवन, लखनऊ/गौतमबुद्धनगर, उ0प्र0।
10. वित्त अधिकारी/वित्त नियंत्रक, संबंधित चिकित्सा संस्थान, लखनऊ/नोएडा।
11. वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-3
12. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(ज्ञानेन्द्र कुमार शुक्ल)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।